न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2464 सन 2026
CNR No. UPSP 01006233 2026

1.इखलाक पुत्र कौसर
2.अम्मार पुत्र इखलाक
3.मौ0 अफजल पुत्र अकरम
4.मौ0 बाबर पुत्र राशिद
5.साहरूख खान पुत्र अब्बास
निवासीगण ग्राम बल्ला माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अं.स. 215/2025
धारा 191(2),191(3),333,115(2),
352,351(2),110 बी0एन0एस0
थाना गंगोह, जिला–सहारनपुर।

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र</u>

22.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **<u>इखलाक, अम्मार, मौ0 अफजल, मौ0 बाबर व साहरूख खान</u>** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अब्दुल जलील द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दी गयी है कि दिनांक 10.06.2025 को वादी के खेत की पैमाईश चल रही थी कि अचानक वादी के खेत पर विपक्षीगण इखलाख, अम्मार, वक्कार, अकरम, अफजल, आमिर, तौयब, खालिद, बाबर एवं शाहरूख ने वादी के खेत की पैमाईश रूकवाई, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त विपक्षीगण ने वादी के साथ लाठी–डन्डो, सरियो व गडासी से हमला कर दिया। वादी किसी तरह छूट कर अपने घर आया तो उसके घर पर आकर ईंट–पत्थरो से पत्थरबाजी करने लगे, और कहने लगे कि आज तुझे जान से मार देगें। घर पर वादी की पुत्री खाना बना रही थी। इन लोगो ने आकर वादी की पुत्री को घायल कर दिया, जिससे वादी की पुत्री को गम्भीर चोट आयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 215/2025 अन्तर्गत धारा 191(2),191(3),333,115(2),352,351(2) बी0एन0एस0 के अपराध में थाना गंगोह, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा दौरान विवेचना आहत के चिकित्सीय प्रपत्रो के आधार पर धारा 110 बी0एन0एस0 की वृद्धि कर विवेचना पूर्ण करके अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरिवर्णित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थीगण दौरान विवेचना थाने से जमानत पर है, उनके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली गलौच करते हुए वादी के घर में घुसकर , लाठी –डन्डो, सरियो व गडासी से मारपीट कर वादी की पुत्री को गम्भीर उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी पर उपलब्ध मजरूबा उस्बा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी बांयी आई–ब्रो व चेहरे के बांयी तरफ ट्रामेटिक के साथ लेस्सरेटड वून्ड की दो चोट, छाती के पीछे रेड कन्टयूजन की दो चोट आना मजरूबा की चोट सं0–1 व 2 को जेरे निगरानी रखते हुए उनके सम्बन्ध में एक्सरे की सलाह जाना अभिलिखत है। केस डायरी पर उपलब्ध मजरूबा की एक्स–रे एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्यानुसार उसकी चोट नम्बर–2 में मेक्सिलरी बोन का फ्रैक्चर पाये जाने के आधार पर उसकी चोट सं0–2 को गम्भीर प्रकृति का होना अभिलिखित है। केस डायरी के अनुसार उक्त के आधार मामले में धारा 110 बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना परिलक्षित है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 24.12.2025 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्तगण के उपस्थित न आने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध जमानती वारण्ट निर्गत किया जाना तथा इसी स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से दौरान विचारण अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित है।

.....

की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित मु0अ0सं0–638/2018 व 137/2024 में आवेदक/अभियुक्त अकरम द्वारा जमानत पर होने तथा मु0अ0सं0–24/2020 उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित न किए जाने का कथन किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण वक्कार व आमिर का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **<u>वक्कार, अकरम एवं आमिर</u>** की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप **<u>अन्दर 15 दिन</u>** दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्तगण, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेंगे, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्तगण, धारा 313 दं.प्र.सं के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
5. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।
6. अभियुक्तगण, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
7. अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोंडेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 25.05.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891